न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
4/10/2021	[illegible] मुकदमा में [illegible] पधारे है। [illegible] 2-12-[illegible]
2/12/21	बकुलाय उपनि[illegible] [illegible] पधारे है। [illegible] 28-2-22 [illegible]
28/2/2022	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपनि[illegible] पत्रावली मूलीभूत सार वास्ते तलबी व जवाब दिनांक 6-6-2022 को पेश हो।
6/6/22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपनि[illegible] पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब दि 12-7-22 को पेश हो।
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। बकुलीत सायल व सायल वकील उपस्थित। प्रकरण में बार-बार सायल व सायल वकील को आवश्यक लिखी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद आयल व सायल वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि सायल व सायल वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं अतः मु० न० 8/16 T.I [illegible] बनाम मुरमल बनाम धानकी व अन्य [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली से संबंधित [illegible] नम्बर की कटा दी।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)